

**दिनांक 16.12.2022 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त:-**

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विरचित विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति/संस्तुति पर निर्णय लेने हेतु पत्रांक 913/डब्लू-30/1125 दिनांक 15.12.2022 द्वारा दिनांक 16.12.2022 को सायं 06.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है:-

1. श्रीमती रिया केजरीवाल, आईओएसओ, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ।
2. प्रभागीय वन अधिकारी, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
4. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
5. उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वॉटर, नलकूप खण्ड प्रथम, लखनऊ।
10. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ।
11. जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, लखनऊ।
13. संयुक्त महा प्रबन्धक, मे०एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।
14. डिप्टी टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि०, लखनऊ।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है:-

- बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मे० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद को मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 821/डब्लू-30/956 दिनांक 09.11.2022 द्वारा जनपद की 40 नग ग्राम पंचायतों को 'हर घर जल' से संतुष्ट करने हेतु लक्ष्य दिया गया था, परन्तु वर्तमान तक फर्म द्वारा प्रदान किये गये लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 20 नग ग्राम पंचायतों में आंशिक रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है। IMIS पोर्टल के अनुसार जनपद में वर्तमान तक 18.91 प्रतिशत गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण पाया गया है, जबकि राज्य का कुल औसत 23.50 प्रतिशत है। वर्तमान में जनपद का राज्य में पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित गृह संयोजनों में 50 वाँ स्थान है। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा माह दिसम्बर तक दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 40 प्रतिशत प्रगति पूर्ण पायी गयी है, जिससे माह दिसम्बर तक के लक्ष्य के सापेक्ष जनपद का स्थान अंतिम 05 में सम्मिलित है।
- वर्तमान तक स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलनों के सापेक्ष कवर एग्रीमेन्ट हुए 250 नग पेयजल योजनाओं (303 ग्राम पंचायत/434 राजस्व ग्राम) में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष वर्तमान तक की प्रगति निम्नानुसार है:-

| क्र० सं० | विवरण         | प्रस्तावित मात्रा | वर्तमान प्रगति                                    | टाइमलाइन के अनुसार कार्य की आपेक्षित प्रगति (% में) | वर्तमान में कार्य की वास्तविक प्रगति (% में) |
|----------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | नलकूप         | 276 नग            | 187 पर कार्य प्रारम्भ/87 पूर्ण                    | 55.00 %                                             | 32.00 %                                      |
| 2        | शिरोपरि जलाशय | 250 नग            | 98 पर कार्य प्रगति पर है।                         | 45.00 %                                             | 25.00 %                                      |
| 3        | पम्प हाउस     | 276 नग            | 80 पर कार्य प्रगति पर/51 में स्लैब लेविल तक पूर्ण | 50.00 %                                             | 24.00 %                                      |
| 4        | वितरण प्रणाली | 2924.00 कि०मी०    | 831.00 कि०मी०                                     | 45.00 %                                             | 28.00 %                                      |
| 5        | गृह जल संयोजन | 156735 नग         | 34308 नग                                          | 45.00 %                                             | 22.00 %                                      |
| 6        | वाउण्ड्रीवाल  | 276 नग            | 183 पर कार्य प्रगति पर/125 पर कार्य पूर्ण         | 60.00 %                                             | 52.00 %                                      |

- कवर अनुबन्धों के सापेक्ष कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी पायी गयी। फर्म द्वारा कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है। प्रथम कवर एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने की तिथि दिनांक 28.02.2022 हैं। इस प्रकार प्रथम कवर एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत सभी कम्पोनेन्ट लगभग पूर्णतः की स्थिति में होने चाहिए थे परन्तु वर्तमान तक कार्यों की प्रगति 60 प्रतिशत हैं। द्वितीय कवर एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने की तिथि 15.06.2022 हैं, इस प्रकार द्वितीय कवर एग्रीमेन्ट के कार्यों की प्रगति लगभग 70 प्रतिशत होनी चाहिए थी, परन्तु वर्तमान तक कार्यों की प्रगति 50 प्रतिशत हैं। वर्तमान में कार्यों की स्थिति के अनुसार 3600 नग श्रमिकों की आवश्यकता हैं, परन्तु कार्यस्थल पर 1850 नग श्रमिक उपलब्ध हैं। श्रमिकों एवं टी0 एण्ड पी0 की संख्या में कमी के कारण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी।
- वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान खोदी गयी सडकों को मोटरेबुल न किये जाने के कारण आवागमन में असुविधा होती हैं। खोदी गयी सडकों को मोटरेबुल बनाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के अनेकों निर्देशों के बावजूद भी फर्म द्वारा इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया हैं। प्रायः जगह-जगह खुदाई कर के छोड़ दिया जाता है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता हैं, तथा उक्त के अतिरिक्त कुछ स्थलों पर मानक के अनुसार गहराई नहीं की जा रही हैं, जिस कारण मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें प्राप्त होती हैं।
- कार्यदायी फर्म को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कवर अनुबन्धों के सापेक्ष टी0 एण्ड पी0 एवं श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करते हुए कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में कार्यों में अपेक्षित प्रगति न हो पाने के कारण कार्यदायी फर्म के विरुद्ध अनुबन्ध की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यदि कवर एग्रीमेन्ट के लक्ष्यों के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की कमी के कारण कोई भी जनमानस बीमारी से ग्रसित होता हैं तथा खोदी गयी सडकों के कारण किसी तरह की दुर्घटना होती हैं तो कार्यदायी फर्म के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी एवं उक्त की क्षतिपूर्ति अनुबन्धों की धरोहर धनराशि द्वारा कर ली जायेगी।
- विस्तृत प्राक्कलनो को तैयार किये जाने की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल लक्षित 376 नग विस्तृत प्राक्कलन के सापेक्ष 368 विस्तृत प्राक्कलन तैयार की जा चुकी है तथा पूर्व में 352 विस्तृत प्राक्कलन को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा स्वीकृति एवं संस्तुति प्रदान की जा चुकी है। एस0एल0एस0एस0सी0 के द्वारा वर्तमान तक 336 नग विस्तृत प्राक्कलन हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध का गठन हो चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को शेष त्रिपक्षीय अनुबन्धों को 03 दिवस के भीतर पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये।
- 250 कवर एग्रीमेन्ट के सापेक्ष वर्तमान तक 187 कवर एग्रीमेन्ट में कार्य प्रारम्भ किया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए शेष समस्त स्थानों पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- उपजिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत सचिव स्तर से उक्त कार्यों का सत्यापन कराया जाये तथा 300 मी0 से अधिक पाइपलाइन की ट्रेंच खुदी पायी जाने पर एफ0आई0आर0 के निर्देश दिये। जिस स्थानों पर विवाद है, उन स्थलों पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विवादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
- बैठक में कार्यदायी फर्म द्वारा परीक्षणोपरान्त ठीक पाये गये 25 नग विस्तृत प्राक्कलन, (जिसमें 26 ग्राम पंचायत/43 राजस्व ग्राम पाइप पेयजल योजना से आच्छादित होंगे) को प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

- 05 करोड से कम लागत के विस्तृत प्राक्कलन (स्वीकृति हेतु विचाराधीन) -

| क्र०सं० | विकासखण्ड  | ग्राम पंचायत का नाम     | सम्मिलित राजस्व<br>ग्रामों की संख्या | सम्मिलित मजरी<br>की संख्या | अनुमानित लागत<br>(लाख में) |
|---------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1       | 2          | 3                       | 4                                    | 5                          | 6                          |
| 1       | बी०के०टी०  | भाखामऊ                  | 1                                    | 2                          | 363.89                     |
| 2       | बी०के०टी०  | चक पृथ्वीपुर            | 2                                    | 3                          | 270.23                     |
| 3       | बी०के०टी०  | मिश्रीपुर               | 1                                    | 2                          | 242.69                     |
| 4       | बी०के०टी०  | गेहनाखुर्द              | 1                                    | 2                          | 223.60                     |
| 5       | बी०के०टी०  | दुधरा                   | 1                                    | 1                          | 229.5                      |
| 6       | चिनहट      | पश्चिम गांव             | 2                                    | 2                          | 219.25                     |
| 7       | गोसाईगंज   | हबुआपुर                 | 2                                    | 3                          | 245.54                     |
| 8       | गोसाईगंज   | फरीदपुर                 | 2                                    | 6                          | 317.62                     |
| 9       | गोसाईगंज   | मोहम्मदाबाद             | 4                                    | 6                          | 391.94                     |
| 10      | काकोरी     | पहिया आजमपुर            | 1                                    | 1                          | 218.49                     |
| 11      | काकोरी     | मुज्फरनगर पजिया         | 3                                    | 4                          | 346.05                     |
| 12      | काकोरी     | मुबारकपुर, काकोरी       | 4                                    | 9                          | 456.72                     |
| 13      | माल        | सैबसी                   | 1                                    | 1                          | 191.46                     |
| 14      | माल        | भानपुर                  | 3                                    | 3                          | 289.50                     |
| 15      | मलिहाबाद   | खालिसपुर                | 1                                    | 3                          | 333.95                     |
| 16      | मलिहाबाद   | तिरंगवा                 | 1                                    | 1                          | 208.40                     |
| 17      | मोहनलालगंज | नगराम                   | 1                                    | 4                          | 399.50                     |
| 18      | मोहनलालगंज | मस्तीपुर                | 1                                    | 1                          | 220.73                     |
| 19      | सरोजनीनगर  | अहमदपुर उर्फ<br>कमलापुर | 2                                    | 2                          | 228.60                     |
| योग     |            |                         | 34                                   | 56                         | 5397.66                    |

- 05 करोड से अधिक लागत के विस्तृत प्राक्कलन (राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को संस्तुति हेतु विचाराधीन) -

| क्र०सं० | विकासखण्ड | ग्राम पंचायत का नाम | सम्मिलित राजस्व<br>ग्रामों की संख्या | सम्मिलित मजरी<br>की संख्या | अनुमानित लागत<br>(लाख में) |
|---------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|---------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

| 1 | 2        | 3                          | 4 | 5  | 6       |
|---|----------|----------------------------|---|----|---------|
| 1 | गोसाईगंज | रहमतनगर                    | 3 | 6  | 627.10  |
| 2 | माल      | ससपन                       | 1 | 18 | 1032.50 |
| 3 | मलिहाबाद | जिंदौर, फतेहपुर            | 2 | 17 | 1500.20 |
| 4 | गोसाईगंज | बक्कास (पुर्नगठन)          | 1 | 10 | 982.96  |
| 5 | मलिहाबाद | कसमन्डी कलां<br>(पुर्नगठन) | 1 | 2  | 536.85  |
| 6 | काकोरी   | बहरू (पुर्नगठन)            | 1 | 5  | 522.35  |
|   | योग      |                            | 9 | 58 | 5201.96 |

उक्त के अतिरिक्त 9 नग विस्तृत प्राक्कलन (जिसमें 09 ग्राम पंचायत/13 राजस्व ग्राम पाइप पेयजल योजना से आच्छादित होंगे एवं जिनकी प्रति नग गृह जल संयोजन की लागत निर्धारित मानक से अधिक हैं) को प्रस्तुत किया गया है, का विवरण निम्नवत है:-

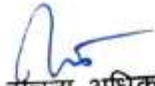
| क्र०सं० | विकासखण्ड  | ग्राम पंचायत का नाम | सम्मिलित राजस्व<br>ग्रामों की संख्या | सम्मिलित मजरी<br>की संख्या | अनुमानित लागत<br>(लाख में) |
|---------|------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1       | 2          | 3                   | 4                                    | 5                          | 6                          |
| 1       | बी०के०टी०  | सरायदामू            | 1                                    | 1                          | 182.84                     |
| 2       | बी०के०टी०  | दौलतपुर             | 2                                    | 4                          | 234.28                     |
| 3       | चिनहट      | नरेन्दी             | 1                                    | 2                          | 200.27                     |
| 4       | चिनहट      | धौबेला              | 3                                    | 5                          | 214.29                     |
| 5       | गोसाईगंज   | इस्माइल नगर         | 1                                    | 1                          | 192.18                     |
| 6       | मलिहाबाद   | तिकैतगंज            | 1                                    | 2                          | 221.84                     |
| 7       | मलिहाबाद   | हरिहरपुर            | 1                                    | 1                          | 215.63                     |
| 8       | मलिहाबाद   | मीठेनगर             | 2                                    | 3                          | 492.79                     |
| 9       | मोहनलालगंज | लालपुर              | 1                                    | 1                          | 256.51                     |
|         | योग        |                     | 13                                   | 20                         | 2210.63                    |

प्रस्तुत प्राक्कलनों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा शासनादेश संख्या 16/2021/948/छिहत्तर-1-201-22 दिनांक 19.03.2021 एवं 36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 एवं संशोधित शासनादेश सं० 7/2022/430/ छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019, दिनांक 04.03.2022 के अनुपालन में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उक्त विवरण, मे० एन०सी०सी०लि० एवं अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा प्रति नग गृह पेयजल संयोजन की लागत में वृद्धि हेतु दिये गये प्रमाणपत्र के अनुसार 05 करोड़ की लागत तक के विस्तृत प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने एवं 05 करोड़ से अधिक लागत के

विस्तृत प्राक्कलनों की स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

  
अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

  
जिला कृषि अधिकारी/सदस्य  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

  
जिला सूचना अधिकारी/सदस्य  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

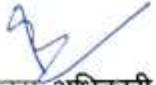
  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

  
अधिशाली अभियन्ता/सदस्य  
शारदा नहर खण्ड-2  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

  
जिला मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

  
अधिशाली अभियन्ता/सदस्य  
ग्राउण्ड वाटर, नलकूप खण्ड प्रथम  
लखनऊ।

  
जिला प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

  
जिला विकास अधिकारी/सदस्य  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

  
मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
लखनऊ।

पृ०सं०- 34 / W-30 / 53  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक: 17/01/2023

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
4. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियान, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. अधिशाली अभियन्ता, त्रयोदश खण्ड, (वि०/यों) जल निगम लखनऊ।
7. अधिशाली अभियन्ता सिंचाई खण्ड लखनऊ।
8. अधिशाली अभियन्ता, भूगर्भ, जल विभाग, लखनऊ।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
10. जिला पंचायती राज अधिकारी, लखनऊ।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
12. जिला कृषि अधिकारी लखनऊ।
13. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी लखनऊ।
14. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ।
15. मेसर्स एन०सी०सी०लि०, लखनऊ/हैदराबाद।

  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
लखनऊ